

उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या - 17/2018

नवीन कुमार बनाम् राज्य

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

17-07-2019

—: आदेश :—

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना, दिनांक-13.06.2018 को दायर पुनर्विचार हेतु अपील आवेदन एवं समर्पित कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात वाद संख्या-137/2013 में दिनांक-24.12.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा दिनांक-25.10.2017 को पारित आदेश पर पुनर्विचार करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक-20.02.2017 को दायर अपील आवेदन पर विधिवत् सुनवाई करते हुए, अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा दिनांक-25.10.2017 को आदेश पारित किया गया है। पुनः अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश पर पुनर्विचार कर नये सिरे से आदेश पारित करना नियम संगत नहीं है। वादी द्वारा पुनः सुनवाई हेतु कोई आधार नहीं बताया गया है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा पुनर्विचार हेतु दिनांक-13.06.2018 को दायर अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।